



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

ई-मेल/Mail : registrar@mgahv.in

क्रमांक : 006/Estt/Proctor/2016/31/ 777

दिनांक : 18/04/2023

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 के परिनियम 29(2) के प्रावधान के अंतर्गत कुलानुशासक (Proctor) को छात्र अनुशासन के मामले में नोटिस जारी करने, अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्तुत करने तथा परिसर में अनुशासन, मर्यादा और शांति बनाए रखने हेतु अन्य उपाय करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।

डॉ. राजेश्वर सिंह
(कार्यकारी कुलसचिव)

प्रति (ईमेल द्वारा)

डॉ. सूर्य प्रकाश पाण्डेय
कुलानुशासक
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा)

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष/प्रमुख, केंद्र निदेशक
4. अकादमिक निदेशक : क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज
5. प्रभारी : क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता
6. प्रभारी: सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्वज्ञान अध्ययन केंद्र, रिद्धिपुर, अमरावती
7. कुलानुशासक कार्यालय
8. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
9. समस्त छात्रावास अधीक्षक
10. कुलसचिव कार्यालय
11. वित्ताधिकारी कार्यालय
12. लीला, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
13. रक्षित पत्रावली।